न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2890–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–06–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 71/2011–12/निगरानी.

सैफिया एज्यूकेशन सोसायटी,
द्वारा सचिव जैनुद्दीन शाह
पुत्र स्व0श्री फकरूददीन शाह
निवासी 12 नादिर कॉलोनी भोपाल

...........आवेदक

विरूद्ध

एस.एच.खान पुत्र श्री हफीजउल्लाह खान,
निवासी साहिल व्ही.आई.पी.रोड अहमदाबाद पैलेस,
कोहे–ए–फिजा, भोपाल

.........अनावेदक

श्री दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन.सी.दास, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम कोहेफिजा तहसील हुजूर स्थित सर्वे कमांक 52/1–ख रकवा 17.80 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ—12/2007—08 दर्ज कर दिनांक 12—6—08 को सीमांकन हेतु सीमांकन दल का गठन किया गया । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 2—8—2008 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई । नायब तहसीलदार द्वारा आपत्ति एवं जबाव हेतु प्रकरण नियत किया गया और प्रकरण में समय समय पर पेशियॉ नियत होती रही । दिनांक 6—10—2008 को नायब तहसीलदार द्वारा शपथपत्र साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पेशी दिनांक 13—10—2008 नियत की गई । दिनांक 13—10—08 को नायब तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष के तर्क सुने गये । तर्क के दौरान अनावेदक के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि सर्वप्रथम उनके जबाव पर आदेश पारित किया जाये तत्पश्चात् आगे की कार्यवाही हेतु प्रकरण नियत किया जाये । उक्त जबाव आपत्तिकर्ता की आपत्ति के संबंध में होने से आपत्तिकर्ता द्वारा समय चाहा गया, अतः तहसीलदार द्वारा समय दिया जाकर प्रकरण आपत्ति एवं उसके जबाव पर तर्क हेतु नियत किया जाकर दिनांक 23—10—08 की पेशी नियत की गई । नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10—12—2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19—6—2012 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत् रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पड़ोसी कृषक है, इसलिये उसे आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है । यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके बावजूद भी सीमांकन की कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में डिकी पारित की गई

इसलिये सीमांकन किया जाना उचित नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–6–08 को सीमांकन दल का गठन किया गया है, जबकि सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5–5–08 को ही प्रस्तुत किया जा चुका है जो कि संभव नहीं है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कोई स्वत्व नहीं है और किसी हिबानामा के आधार पर अपना स्वत्व प्रश्नाधीन भूमि पर बता रहा है तथा हिबानामा के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने से शासन को करोड़ो रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है । उनके द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित एवं मौखिक तर्क में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नायब तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा दिनांक 11–6–2008 को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

(2) निगरानी मेमों में ही इस बात का उल्लेख है कि अनावेदक के सीमांकन आवेदन पत्र के आधार पर सीमांकन कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार के प्रकरण की आदेशिका से होती है । अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) आवेदक के पक्ष में निष्पादित डिक्री के विरूद्ध अपील लंबित है, जिसमें स्थगन दिया गया है ।

(4) सीमांकन के समय आवेदक स्वयं उपस्थित हुआ है और उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(5) आवेदक को सीमांकन में न तो आपत्ति करने का कोई अधिकार है और न ही उसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का, क्योंकि आवेदक अभिलिखति भूमिस्वामी नहीं है और न ही पड़ोसी कृषक है ।

(6) सीमांकन प्रतिवेदन में त्रुटिवश दिनांक 5–8–2008 के स्थान पर दिनांक 5–5–2008 अंकित हो गया है इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सीमांकन प्रतिवेदन पूर्व में ही प्रस्तुत हो चुका है ।

(7) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत होकर लंबित है ।

(8) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाला गया है जिसमें इस निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(9) नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और आवेदक को तहसीलदार न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त है ।

(10) संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(11) आवेदक को संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह प्रश्नाधीन भूमि का न ता भूमिस्वामी है और न ही पड़ोसी कृषक है ।

(12) नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् पडोसी कृषक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है और सीमांकन के समय आवेदक भी उपस्थित रहा है, परन्तु उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(13) तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया गया है जिसमें आवेदक की भूमि प्रभावित नहीं हुई और न ही उसका आधिपत्य प्रभावित हो रहा है। अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 52/1–ख रकवा 17.80 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11–6–08 को प्रस्तुत किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अ–12/2007–08 दर्ज कर दिनांक 12–6–2008 को

सीमांकन दल का गठन किया गया है और सीमांकन दल द्वारा दिनांक 2–8–2008 को विधिवत् आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 5–8–2008 को सीमांकन प्रतिवेदन मय नक्शा व फील्डबुक सहित नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । नायब तहसीलदार के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः आदेशिका में दिनाकों की त्रुटि बताते हुये सीमांकन आक्षेपित किया गया है, जिसका जबाव अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण आवेदक की आपत्ति एवं जबाव पर तर्क हेतु नियत किया गया है । दिनांक 13–10–2008 को अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह कहा गया कि सर्वप्रथम उनके जबाव पर आदेश पारित किया जाये, तत्पश्चात् आगे की कार्यवाही हेतु प्रकरण नियत किया जाये । चूँकि जबाव आवेदक की आपत्ति पर नियत था, इसलिये आवेदक द्वारा तर्क हेतु समय चाहा गया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा समय दिया जाकर प्रकरण आपत्ति एवं जबाव के लिये नियत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, और आवेदक का परिवेदित होना भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नायब तहसीलदार के समक्ष अभी आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा सीमांकन प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी । इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि यद्यपि आवेदक अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है, इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई का भी अवसर दिया जा रहा है, निगरानी निरस्त की गई है, जो कि अपने स्थान पर उचित कार्यवाही है । इसी आशय का निष्कर्ष अपर आयुक्त द्वारा निकाला जाकर निगरानी निरस्त की गई है । इस प्रकार दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित हैं । यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि चूँकि आवेदक राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है, इसलिये वह प्रभावित पक्षकार भी परिलक्षित नहीं होता है । साथ ही संहिता की धारा 129 में सीमांकन पश्चात् साक्ष्य लेने का कोई

प्रावधान भी नहीं है। उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद भी नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति एवं जबाव पर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–6–08 को निरीक्षण दल का गठन किया गया है, जबकि निरीक्षण दल द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5–5–08 को प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि संभव नहीं है, अतः किया गया सीमांकन अवैध है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5–8–08 को प्रस्तुत किया गया है, परन्तु त्रुटिवश दिनांक 5–5–08 अंकित हो गया है, कारण जब सीमांकन दिनांक 2–8–08 को किया गया है, तब दिनांक 5–5–08 को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । आवेदक की ओर से केवल आदेशिका एवं प्रतिवेदन में हुई दिनांक की त्रुटियों को आधार बताकर सीमांकन अवैध बताया जा रहा है, जबकि दिनांकों में त्रुटि मानवीय भूल के कारण हुई है, और दिनांकों की त्रुटि के कारण सीमांकन संदिग्ध नहीं हो जाता है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी अभिलेख के विपरीत है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि सीमांकन आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न है । दर्शित परिस्थितियों में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–06–2012 एवं अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2010 स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर